उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

पी.ए. वाद सं0– 29/2015–16

राजेश राय ....आवेदक

बनाम

16/– रैयत, मौजा धानडीह .... विपक्षी

।। आदेश ।।

03/04/2018
18/6/18

यह पी.ए. वाद सं0 29/15–16 राजेश राय बनाम् 16/– रैयत मौजा धानडीह, अंचल जरमंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय से सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 60 के अन्तर्गत पुर्नरीक्षण (Review) की अनुमति हेतु प्राप्त है।

इस पी.ए. वाद सं0– 29/2015–16 में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध में भागवत राय द्वारा भी रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 08/2017–18 दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश एवं संबंधित अभिलेखों में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पारित आदेश एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के पूर्व पट्टाधारी प्रधान टेपनाथ राय के जेष्ठ पुत्र है। जिनकी मृत्यु दिनांक 22.05.2015 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा उनके पिता के मृत्यु के पश्चात प्रधानी पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु यह प्रधानी वाद दायर किया गया है। इस पर अंचल अधिकारी जरमुंडी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16/– रैयतों पर नोटिस निर्गत किया गया। इस पर आपत्तिकर्त्ता श्यामसुन्दर राय पे0 हरिनारायण राय द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल करते हुए कहा है कि वे मौजा के खतियानी प्रधान सोना राय के वंशज है एवं उन्हें पी.ए. वाद सं0– 121/2009–10 में प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है तथा उन्हें दिनांक 13.09.2010 को पट्टा निर्गत किया गया है जबकि आवेदक के पिता को पी.ए. वाद सं0– 767/2007–08 में आपत्तिकर्त्ता के पश्चात दिनांक 09.05.2011 को पट्टा निर्गत किया गया है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अभिलेख के साथ प्राप्त निम्न न्यायालय के अभिलेख पी.ए. वाद सं0– 767/2007–08 जिसमें आवेदक के पिता एवं पी.ए. वाद सं0– 121/2009–10 जिसमें आपत्तिकर्त्ता श्यामसुन्दर राय को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। पी.ए. वाद सं0– 767/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पिता टेपनाथ राय को अंतिम प्रधान नीलकंठ राय के जेष्ठ पुत्र होने के नाते सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है जबकि आपत्तिकर्त्ता श्यामसुन्दर राय को

पी.ए. वाद सं0– 121/2009–10 में गैंजर प्रधान सोना राय के परपोत्र होने के नाते धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इस प्रकार दोनों अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता को अंतिम प्रधान के आधार पर एवं आपत्तिकर्त्ता को गैंजर सर्वे के प्रधान के आधार पर प्रधान नियुक्त किया गया है। यहाँ उल्लेखित तथ्य यह है कि एक मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु दो अलग–अलग अभिलेख संधारण किया गया है एवं दोनों को एक ही मौजा के एक ही प्रधान पद अलग–अलग वादों में नियुक्त किया गया है। नियमतः एक मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु एक ही प्रधानी नियुक्ति वाद का संधारण किया जाना चाहिए था इस कारण यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश पर पुर्नरीक्षण हेतु अभिलेख भेजा गया है।

रे.मि. रिविजन वाद सं0– 08/2017–18 के आवेदक भागवत राय द्वारा निम्न न्यायालय में आपत्तिकर्त्ता को प्रधान पद से बर्खास्त कर उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह कहकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया कि आपत्तिकर्त्ता का प्रधान पद पर नियुक्ति की पुर्नरीक्षण हेतु उपायुक्त से सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आदेश पारित किया गया है।

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता एवं आपत्तिकर्त्ता को एक ही मौजा के प्रधान पद पर अलग–अलग प्रधानी नियुक्ति वाद का संधारण कर प्रधान नियुक्त किया गया है। नियमतः एक आवेदन/दावों को अस्वीकृत किये जाने के पश्चात प्रधान की नियुक्ति किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 60 के अन्तर्गत पुर्नरीक्षण की अनुमति दी जाती है। रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 08/2017–18 के आवेदक को आदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। यह आदेश आर.एम.आर. वाद सं0– 08/17–18 (भागवत राय बनाम् राजेश राय) में लागू होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त 06/08/18
दुमका।

उपायुक्त 18/08/18
दुमका।

53 ... 8/8/18